

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गया।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, बेतिया।

पटना, दिनांक- 28/3/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों से नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद में प्राप्त योजनाओं के लिए कुल राशि ₹246.53900 लाख (दो करोड़ छियालीस लाख तिरपन हजार नौ सौ रु०) मात्र की संलग्न सूची के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों से नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद में प्राप्त संलग्न सूची के स्तम्भ- 3 में अंकित योजनाओं के लिए स्तम्भ- 4 में अंकित कुल राशि ₹246.53900 लाख (दो करोड़ छियालीस लाख तिरपन हजार नौ सौ रु०) मात्र के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०- 349 दिनांक- 28/3/17 के आलोक में सहायक अनुदान के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप आवंटित की जाती है:-

अर्थात् कुल आवंटित राशि कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) मात्र।

2. आवंटित कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, गया एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् बेतिया होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा।

3. राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. उक्त आवंटित कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) उक्त आवंटित कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) में से संलग्न सूची के क्रमांक- 1 से 17 के सम्मुख स्तम्भ- 6 में अंकित कुल राशि ₹62.27934 लाख (बासठ लाख सताईस हजार नौ सौ चौतीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष-02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- P 2215021910102, विषय शीर्ष- 31 05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

(ख) उक्त आवंटित कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) में से संलग्न सूची के क्रमांक- 6, 10, 11 एवं 14 के सम्मुख स्तम्भ- 7 में अंकित कुल राशि ₹20.00 लाख (बीस लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष 2215-जलापूर्ति तथा सफाई उपमुख्य शीर्ष-02-मल जल तथा सफाई लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष-0101-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2215027890101, राज्य योजना स्कीम कोड URB 5068 विषय शीर्ष-31 05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ग) उक्त आवंटित कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) में से संलग्न सूची के क्रमांक- 18 के सम्मुख स्तम्भ- 6 में अंकित कुल राशि ₹24.43759 लाख (चौबीस लाख तैंतालीस हजार सात सौ उनसठ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उपमुख्य शीर्ष -02-मल-जल तथा सफाई- लघुशीर्ष-192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता- उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2215021920102, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

5. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
7. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-
- योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जाएगा।
 - संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
 - आवंटित निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।
 - सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
 - योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।
 - योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि आवंटित की गयी है।
8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।
- अनु०-यथोक्त।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

08.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2016 350 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 28-3-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.3.17

सरकार के विशेष सचिव।


नाला निर्माण मद में स्वीकृत योजनाओं की विवरणी :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	विपत्र कोड जिससे निकासी की जानी है		तत्काल कुल आवंटित राशि (6-7)	अवशेष राशि (4-8)
					P2215021910102	P2215027890101		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर निगम, गया	वार्ड नं०-08 में लाला बाबु रोड के पश्चिमी तरफ ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	7.38500	3.69250	3.65250	0.00000	3.69250	3.69250
2		कुमार कॉलोनी में नीरज के घर से रामप्रवेश बाबु के घर तक ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	7.38500	3.69250	3.69250	0.00000	3.69250	3.69250
3		कुमार कॉलोनी में पप्पु बाबु वकील के घर से विकास के घर तक ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाली का निर्माण	7.38500	3.69250	3.69250	0.00000	3.69250	3.69250
4		वार्ड सं०- 27 अंतर्गत गोपाल पासवान के घर से संतोष गुप्ता के घर तक 500 फीट का ढक्कन सहित	7.38500	3.69250	3.69250	0.00000	3.69250	3.69250
5		वार्ड सं०- 27 अंतर्गत लखन ठाकुर के घर से चन्दन सात्र के घर तक 500 फीट का ढक्कन सहित	7.38500	3.69250	3.69250	0.00000	3.69250	3.69250
6		वार्ड सं०- 27 अंतर्गत दुर्गा चौधरी के घर से धर्मन्द्र पासवान के घर होते हुए गनौरी साव के घर तक	7.38500	4.32984	3.71084	0.61900	4.32984	3.05516
7		वार्ड सं०- 27 अंतर्गत भूषण पासवान से लेकर डॉ० बिन्देश्वरी प्रसाद के घर तक 500 फीट का ढक्कन सहित	7.38500	7.38500	7.38500	0.00000	7.38500	0.00000
8		अशोक नगर में एल०आई०सी०, 41 से पी०सी०एस० पब्लिक स्कूल तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	6.03300	6.03300	6.03300	0.00000	6.03300	0.00000
9		वार्ड नं०-30, मुहल्ला-भट्टविगहा में बिरेन्द्र सिंह के घर से कामता सिंह के घर होते हुए श्याम जी के घर तक	7.48600	3.74300	3.74300	0.00000	3.74300	3.74300
10		मुहल्ला अशोक नगर में रघुनी रजक के मकान से एल०आई०सी०, 41 तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण	6.37500	6.37500	0.00000	6.37500	6.37500	0.00000
11		अशोक नगर में विजय सिंह के मकान से कृष्णा प्रसाद के घर तक एवं इन्द्रदेव शर्मा के घर से बवन पाण्डेय के घर	6.46000	6.46000	0.00000	6.46000	6.46000	0.00000
12		मुस्तफाबाद में सुनिल शर्मा के घर से सीताराम पासवान के घर होते हुए फिरंगी चौधरी तक आर०सी०सी० नाली	7.48600	3.74300	3.74300	0.00000	3.74300	3.74300
13		वार्ड नं०-29 मगध कॉलोनी रोड नं०-02 में रुद्रशंकर प्रसाद के घर से रमेश बाबु के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	4.48600	4.48600	4.48600	0.00000	4.48600	0.00000
14		प्रदीप महतो के घर से राठौड़ निवास तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	6.54600	6.54600	0.00000	6.54600	6.54600	0.00000
15		उमा बाबा के घर से झारखण्ड मंदिर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	7.23000	7.23000	7.23000	0.00000	7.23000	0.00000
16		मौसम मालाकार के घर से गया बोधगया रोड तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	7.48600	3.74300	3.74300	0.00000	3.74300	3.74300
17		महेन्द्र यादव के घर से राजू रविदास के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	7.48600	3.74300	3.74300	0.00000	3.74300	3.74300
योग (क)			118.76900	82.27934	62.27934	20.00000	82.27934	36.48966

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	विपत्र कोड जिससे निकासी की जानी है		तत्काल कुल आवंटित राशि (6-7)	अवशेष राशि (4-8)
					P2215021920102	P2215027890101		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	नगर परिषद, बेतिया	बेतिया अंतर्गत जगदम्बा नगर पुल से बड़ा रमना गेट तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण एवं शितला माई चौक से रमना गेट तक नाला का जीर्णोद्धार कार्य।	127.77000	24.43759	24.43759	0.00000	24.43759	103.33241
योग (ख)			127.77000	24.43759	24.43759	0.00000	24.43759	103.33241
योग (क+ख)			246.53900	106.71693	86.71693	20.00000	106.71693	139.82207


 (जय प्रकाश मंडल),
 सरकार के विशेष सचिव।

Handwritten marks/signatures at the bottom left.

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-28/03/17

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों से नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद में प्राप्त योजनाओं के लिए कुल राशि ₹246.53900 लाख (दो करोड़ छियालीस लाख तिरपन हजार नौ सौ रु०) मात्र की संलग्न सूची के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों से नाला निर्माण एवं अन्य सैनिटेशन मद में प्राप्त संलग्न सूची के स्तम्भ- 3 में अंकित योजनाओं के लिए स्तम्भ- 4 में अंकित कुल राशि ₹246.53900 लाख (दो करोड़ छियालीस लाख तिरपन हजार नौ सौ रु०) मात्र के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ- 5 के अनुरूप तत्काल कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) मात्र की स्वीकृति संलग्न सूची के अनुरूप प्रदान की जाती है।

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) मात्र।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

2. स्वीकृत कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, गया एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् बेतिया होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 423, दिनांक- 31.03.2016 एवं पत्रांक- 811, दिनांक- 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरान्त राशि का संधारण संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा।

3. राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी:-

(क) उक्त स्वीकृत कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) में से संलग्न सूची के क्रमांक- 1 से 17 के सम्मुख स्तम्भ- 6 में अंकित कुल राशि ₹62.27934 लाख (बासठ लाख सताईस हजार नौ सौ चौतीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 मुख्य शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष-02-मल जल तथा सफाई, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान विपत्र कोड- P 2215021910102, विषय शीर्ष- 31 05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण से की जायेगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

(ख) उक्त स्वीकृत कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) में से संलग्न सूची के क्रमांक- 6, 10, 11 एवं 14 के सम्मुख स्तम्भ- 7 में अंकित कुल राशि ₹20.00 लाख (बीस लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष 2215-जलापूर्ति तथा सफाई उपमुख्य शीर्ष-02-मल जल तथा सफाई लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष-0101-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2215027890101, राज्य योजना स्कीम कोड URB 5068 विषय शीर्ष-31 05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ग) उक्त स्वीकृत कुल ₹106.71693 लाख (एक करोड़ छः लाख एकहत्तर हजार छः सौ तिरानवे रु०) में से संलग्न सूची के क्रमांक- 18 के सम्मुख स्तम्भ- 6 में अंकित कुल राशि ₹24.43759 लाख (चौबीस लाख तैंतालीस हजार सात सौ उनसठ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष 2215-जल पूर्ति तथा सफाई- उपमुख्य शीर्ष -02-मल-जल तथा सफाई- लघुशीर्ष-192- नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता- उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- P 2215021920102, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

5. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

७

7. नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

- (i) योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकायों द्वारा किया जाएगा।
- (ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।
- (iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।
- (iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।
- (v) योजना का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।
- (vi) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-2ब०/सड़क-09-01/2016 के पृष्ठ सं०-29...../टि० पर दिनांक- 28.03.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-29...../टि० पर दिनांक- 28.03.2017 को प्राप्त है।

10. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम, गया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेतिया/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2016 349 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 28-3-17
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम, गया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बेतिया/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।


नाला निर्माण मद में स्वीकृत योजनाओं की विवरणी :-

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	विपत्र कोड जिससे निकासी की जानी है		तत्काल कुल आवंटित राशि (6-7)	अवशेष राशि (4-8)
					P2215021910102	P2215027890101		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर निगम, गया	वार्ड नं०-08 में लाला बाबु रोड के पश्चिमी तरफ ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	7.38500	3.69250	3.69250	0.00000	3.69250	3.69250
2		कुमार कॉलोनी में नीरज के घर से रामप्रवेश बाबु के घर तक ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	7.38500	3.69250	3.69250	0.00000	3.69250	3.69250
3		कुमार कॉलोनी में पप्पु बाबु वकील के घर से विकास के घर तक ढक्कन सहित आर०सी०सी० नाली का निर्माण	7.38500	3.69250	3.69250	0.00000	3.69250	3.69250
4		वार्ड सं०- 27 अंतर्गत गोपाल पासवान के घर से संतोष गुप्ता के घर तक 500 फीट का ढक्कन सहित	7.38500	3.69250	3.69250	0.00000	3.69250	3.69250
5		वार्ड सं०- 27 अंतर्गत लखन ठाकुर के घर से चन्दन साव के घर तक 500 फीट का ढक्कन सहित	7.38500	3.69250	3.69250	0.00000	3.69250	3.69250
6		वार्ड सं०- 27 अंतर्गत दुर्गा चौधरी के घर से धर्मेन्द्र पासवान के घर होते हुए गनौरी साव के घर तक	7.38500	4.32984	3.71084	0.61900	4.32984	3.05516
7		वार्ड सं०- 27 अंतर्गत भूषण पासवान से लेकर डॉ० बिन्देश्वरी प्रसाद के घर तक 500 फीट का ढक्कन सहित	7.38500	7.38500	7.38500	0.00000	7.38500	0.00000
8		अशोक नगर में एल०आई०सी०, 41 से पी०सी०एस० पब्लिक स्कूल तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	6.03300	6.03300	6.03300	0.00000	6.03300	0.00000
9		वार्ड नं०-30, मुहल्ला-भट्टविगहा में बिरेन्द्र सिंह के घर से कामंता सिंह के घर होते हुए श्याम जी के घर तक	7.48600	3.74300	3.74300	0.00000	3.74300	3.74300
10		मुहल्ला अशोक नगर में रघुनी रजक के मकान से एल०आई०सी०, 41 तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण	6.37500	6.37500	0.00000	6.37500	6.37500	0.00000
11		अशोक नगर में विजय सिंह के मकान से कृष्णा प्रसाद के घर तक एवं इन्ददेव शर्मा के घर से बवन पाण्डेय के घर	6.46000	6.46000	0.00000	6.46000	6.46000	0.00000
12		मुस्तफाबाद में सुनिल शर्मा के घर से सीताराम पासवान के घर होते हुए फिरंगी चौधरी तक आर०सी०सी० नाली	7.48600	3.74300	3.74300	0.00000	3.74300	3.74300
13		वार्ड नं०-29 मगध कॉलोनी रोड नं०-02 में रुद्रशंकर प्रसाद के घर से रमेश बाबु के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	4.48600	4.48600	4.48600	0.00000	4.48600	0.00000
14		प्रदीप महतो के घर से राठौड़ निवास तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	6.54600	6.54600	0.00000	6.54600	6.54600	0.00000
15		उमा बाबा के घर से झारखण्डे मंदिर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	7.23000	7.23000	7.23000	0.00000	7.23000	0.00000
16		मौसम मालाकार के घर से गया बोधगया रोड तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	7.48600	3.74300	3.74300	0.00000	3.74300	3.74300
17		महेन्द्र यादव के घर से राजू रविदास के घर तक आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	7.48600	3.74300	3.74300	0.00000	3.74300	3.74300
योग (क)			118.76900	82.27934	62.27934	20.00000	82.27934	36.48966

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तत्काल आवंटित राशि	विपत्र कोड जिससे निकासी की जानी है		तत्काल कुल आवंटित राशि (6-7)	अवशेष राशि (4-8)
					P2215021920102	P2215027890101		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	नगर परिषद्, बेतिया	बेतिया अंतर्गत जगदम्बा नगर पुल से बड़ा रमना गेट तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण एवं शितला माई चौक से रमना गेट तक नाला का जीर्णोद्धार कार्य।	127.77000	24.43759	24.43759	0.00000	24.43759	103.33241
योग (ख)			127.77000	24.43759	24.43759	0.00000	24.43759	103.33241
योग (क+ख)			246.53900	106.71693	86.71693	20.00000	106.71693	139.82207


 (जय प्रकाश मंडल),
 सरकार के विशेष सचिव।

 4/4